रजिस्ट्री सं० डी०-एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 30, 2002/कार्तिक 8, 1924

No. 499] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2002/KARTIKA 8, 1924

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2002

सा.का.नि. 735(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का विस्तारण, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्टं उपांतरणों के अधीन रहते हुए, संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ पर करती है :—

अनुसूची

अधिनियमिति	उपांतरण
(1)	(2)
1. पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 18)।	1. धारा 1 में,— (क) उपधारा (1) में, ''पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 1993'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ पर यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 1993'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे; (ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— ''(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा''। 2. धारा 2 में, ''पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, जैसा वह संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में प्रवृत्त है'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।
2. पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 1996 (1996 का 7)।	1. धारा 1 में,— (क) उपधारा (1) में, ''पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 1996'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ पर यथाविस्तारित, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 1996'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(1)	(2)
	(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— "(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा"।
2.	धारा 2 में, "पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, जैसा वह संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में प्रवृत्त है" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. यू.-11015/4/2001-यूटीएल]
पी.के. जलाली, संयुक्त सचिव

उपाबन्ध-1

भाग 1

विधि और विधायी कार्य विभाग, पंजाब

अधिसूचना

तारीख 12 मई, 1993

सं. 18-वि./93.—पंजाब विधान मंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 6 मई, 1993 को पंजाब के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है और साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 1993

(1993 का पंजाब अधिनियम सं. 18)

पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 1993 है।

(2) यह 1 जुलाई, 1992 को ही प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **पूर्वी पंजाब अधिनियम, 1948 का 22 की धारा 3 का संशोधन.**— पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 3 में,—

(अ) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, "तीन सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे; और

(ii) खंड (ख) के पहले परन्तुक की मद (i) में, "पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे; और

(iii) उपधारा (2) में, "संदेय होगा" शब्दों के स्थान पर, "सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम में विनिर्दिष्ट रीति में किसी बैंक के माध्यम से संदेय होगा" शब्द रखे जाएंगे।

ए. एस. गिल, सचिव

उपाबंध-2

भाग 1

विधि और विधायी कार्य विभाग, पंजाब

अधिसूचना

तारीख 13 मई, 1996

सं. 9-वि./96.—पंजाब विधान मंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 16 अप्रैल, 1996 को पंजाब के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है और साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

IndiaCode

पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 1996

(1996 का पंजाब अधिनियम सं. 7)

पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 1996 है।

(2) यह 1 अक्तूबर, 1995 को ही प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **पूर्वी पंजाब अधिनियम, 1948 का 22 की धारा 3 का संशोधन.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में, ''पांच सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''एक हजार दो सौ रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

बख्शीश कौर, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2002

G.S.R. 735(E).—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the enactments specified in column (1) of the Schedule hereto annexed, subject to the modifications specified in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

Enactment	Modifications
1	2
1. The East Punjab War Awards (Amendment) Act, 1993 (18 of 1993).	1. In Section 1,— (a) in sub-section (1), for the words, brackets and figures "the East Punjab War Awards (Amendment) Act, 1993", the words, brackets and figures "the East Punjab War Awards (Amendment) Act, 1993, as extended to the Union Territory of Chandigarh" shall be substituted; (b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :— "(2) It shall come into force at once". 2. In Section 2, for the words and figures "the East Punjab War Awards Act, 1948", the words and figures "the East Punjab War Awards Act, 1948, as in force in the Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.
2. The East Punjab War Awards (Amendment) Act, 1996 (7 of 1996).	1. In section 1,— (a) in sub-section (1), for the words, brackets and figures "the East Punjab War Awards (Amendment) Act, 1996", the words brackets and figures "the East Punjab War Awards (Amendment) Act, 1996, as extended to the Union Territory of Chandigarh" shall be substituted; (b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :— "(2) It shall come into force at once". 2. In Section 2, for the words and figures "the East Punjab War Awards Act, 1948", the words and figures "the East Punjab War Awards Act, 1948, as in force in the Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

[F. No. U-11015/4/2001-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

PART I

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

NOTIFICATION

The 12th May, 1993

No. 18 Leg./93.—The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 6th May, 1993, and is hereby published for general information :—

THE EAST PUNJAB WAR AWARDS (AMENDMENT) BILL, 1993

(Punjab Act No. 18 of 1993)

AN

ACT

further to amend the East Punjab War Awards Act, 1948

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Forty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title and commencement :**— (1) This Act may be called the East Punjab War Awards (Amendment) Act, 1993.

(2) It shall be deemed to have come into force on and with effect from the 1st day of July, 1992.

2. **Amendment of Section 3 of East Punjab Act 22 of 1948 :**—In the East Punjab War Awards Act, 1948, in section 3,—

(*A*) in sub-section (1) :—

(i) in clause (*a*) for the words "three hundred rupees", the words "five hundred rupees", shall be substituted; and

(ii) in the first proviso to clause (*b*), in item (i), for the words "fifty rupees", the words "one hundred rupees" shall be substituted; and

(*B*) in sub-section (2), for the words "be payable", the words "be payable through a bank in the manner specified in a scheme framed by the Government" shall be substituted.

A. S. GILL, Secy.

ANNEXURE-II

PART I

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

NOTIFICATION

The 13th May, 1996

No. 9 Leg./96.—The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 16th April, 1996, and is hereby published for general information :—

THE EAST PUNJAB WAR AWARDS (AMENDMENT) ACT, 1996

(Punjab Act No. 7 of 1996)

AN

ACT

further to amend the East Punjab War Awards Act, 1948

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the East Punjab War Awards (Amendment) Act, 1996.

(2) It shall be deemed to have come into force on and with effect from the 1st day of October, 1995.

2. **Amendment of Section 3 of East Punjab Act 22 of 1948.**—In the East Punjab War Awards Act, 1948, in Section 3, in sub-section (1) in clause (*a*) for the words "five hundred rupees", the words "one thousand and two hundred rupees" shall be substituted.

BAKHSHISH KAUR, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.